

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना  
(भू-अर्जन निदेशालय)

-: अधिघोषणा :-

अधिघोषणा सं० :- 1874/रा०

दिनांक :- 24-07-13

चुकि बिहार सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) को यह प्रतीत होता है कि ग्राम बसाढ (चादर नं० 2), प्रगना- रत्ती, थाना- वैशाली, थाना नं०- 43, जिला वैशाली में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् वैशाली पुष्पकरणी से पश्चिम सम्पर्क सड़क हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि पूर्वोक्त ग्राम बसाढ (चादर नं० 2) के भीतर कमोवेश मानक माप से 01.37 एकड़ के बराबर एक भूखण्ड अपेक्षित है, जिसका खेसरा संख्या एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

खेसरा अनुसूची

पूर्ण खेसरा सं० - 4639, 4640, 4641 एवं 4642

सीमा अनुसूची (चौहद्दी)

उत्तर : - सीमान मौजा चकरमदास  
दक्षिण : - खेसरा सं० 4638  
पुरब : - खरौना पोखर खेसरा सं० 4648  
पश्चिम : - सीमान मौजा चकरमदास

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1/1894 की धारा 6 में संशोधन अधिनियम 11/1961 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका उससे संबंध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

३०

सरकार के अवर सचिव,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1874/रा०

दिनांक : 24-07-13

प्रतिलिपि : निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशनोपरान्त समाचार की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) को प्राप्त कराने कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/समाहर्ता, वैशाली/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, वैशाली को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस प्रतियों जिला भू-अर्जन कार्यालय, वैशाली को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला अवर निबंधक, हाजीपुर (वैशाली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,  
बिहार, पटना।